



KHAN GLOBAL STUDIES

KGS Campus, Sai Mandir, Musallahpur Hatt, Patna - 6

Mob : 8877918018, 875735880

BPSC - Polity


By : Karan Sir

e-governance

'ई. गवर्नेंस' का तात्पर्य

- वैश्वीकरण, उदारीकरण व निजीकरण के संदर्भ में प्रशासन के स्वरूप में व्यापक परिवर्तन के साथ प्रशासन के सूचना तकनीक के प्रयोग में भी व्यापकता आई है।
- 'ई-गवर्नेंस' अर्थात् सूचना तकनीक पर आधारित शासन, अर्थात् Electronic & Governance जिसे शासन की ऐसी प्रणाली से जोड़ा गया है, जिसमें जनता तक सरकारी सेवाएँ और सूचनाएँ पहुँचाने में विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक विधियों और उपकरणों को काम में लाया जाता है।
- अत्यंत साधारण शब्दों में इसका अर्थ है- लोक सेवाओं का कम्प्यूरीकरण कर जनता को लाभ पहुँचाने हेतु इंटरनेट आधारित शासन व्यवस्था कायम करना। किन्तु व्यापक अर्थों में इसका अभिप्राय औद्योगिक युग से समाज को सूचना युग में लाने हेतु सरकार द्वारा किया जाने वाला संपूर्ण प्रयास है।
- वस्तुतः सरकार द्वारा संचालित विभिन्न लोक कल्याणकारी सेवाओं को आम जनता तक शीघ्रता, निष्पक्षता व पारदर्शी रूप से पहुँचाना, जिसका माध्यम 'इलेक्ट्रॉनिक' होगा ई-गवर्नेंस है। इसके द्वारा जनता को सूचनाएँ उपलब्ध कराकर उन्हें सशक्त बनाया जाता है।

स्मार्ट (SMART) गवर्नेंस क्या है?



S for Simplification—

- इसका अर्थ है सरकार के नियमों और विनियमों का सरलीकरण और आईसीटी के अनुप्रयोग के साथ जटिल प्रक्रियाओं से बचना और इसलिए, एक उपयोगकर्ता अनुकूल सरकार प्रदान करना।

M for Mashinary—

- जिसका अर्थ है विभिन्न सरकारी एजेंसियों की दक्षता में सुधार के लिए प्रौद्योगिकी हस्तक्षेप के साथ प्रशासनिक और राजनीतिक मशीनरी में एक नई प्रणाली का उद्भव।

A for Accountability—

- सार्वजनिक सेवा पदाधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी सूचना प्रबंधन प्रणाली और अन्य प्रदर्शन माप तंत्र विकसित करें।

R for Responsive—

- प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करके उन्हें तेज करें, जिससे सिस्टम अधिक प्रतिक्रियाशील बन सके।

T for Transparency—

- वेबसाइटों या विभिन्न पोर्टलों जैसे सार्वजनिक डोमेन में जानकारी प्रदान करना जिससे सरकार के कार्यों और प्रक्रियाओं को पारदर्शी बनाया जा सके।

'विश्वबैंक' के अनुसार 'ई-गवर्नेंस'-

- विश्वबैंक के अनुसार ई-गवर्नेंस के अंतर्गत विभिन्न सरकारी संस्थाओं में सूचना तकनीक, नेटवर्क, इंटरनेट, मोबाइल, कम्प्यूटर आदि का प्रयोग किया जाता है, जिससे प्रशासन में जनता, व्यापार क्षेत्र और सरकार के अन्य हिस्सों के साथ संबंधों में रूपांतरण की क्षमता पैदा होती है। इन तकनीकों के माध्यम से प्रशासन द्वारा प्रदान की जा रही जनता हेतु सेवा की प्रतिबद्धता में वृद्धि संभव होती है, व्यापार व औद्योगिक क्षेत्र के साथ प्रशासन के परस्पर संवाद में कुशलता लाई जा सकती है, सूचनाएँ मुहैया कर जनता को सबल बनाया जा सकता है। और प्रशासकीय प्रबंध को कारगर बनाया जाता है।

यूरोपीय परिषद के अनुसार ई-शासन की परिभाषित

यूरोपीय परिषद ने ई-शासन को सार्वजनिक कार्रवाई के तीन क्षेत्रों में विभाजित किया है—

- सार्वजनिक अधिकारियों और नागरिक समाज के बीच संबंध।
- लोकतांत्रिक प्रक्रिया के सभी चरणों में सार्वजनिक प्राधिकरणों का कामकाज (इलेक्ट्रॉनिक लोकतंत्र)
- सार्वजनिक सेवाओं (इलेक्ट्रॉनिक सार्वजनिक सेवाओं) का प्रावधान।

उत्पत्ति

- भारत में ई-गवर्नेंस की उत्पत्ति 1970 के दशक के दौरान चुनाव, जनगणना, कर प्रशासन आदि से संबंधित डेटा गहन कार्यों के प्रबंधन के लिये आईसीटी के अनुप्रयोगों पर ध्यान देने के साथ हुई।

ई-गवर्नेस की उत्पत्ति की पृष्ठभूमि

- ❖ 1970 में इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग की स्थापना भारत में ई-गवर्नेस की दिशा में पहला बड़ा कदम था क्योंकि इसमें 'सूचना' और 'संचार' पर ध्यान केंद्रित किया गया था।
- ❖ 1977 में स्थापित राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) ने देश के सभी जिला कार्यालयों को कंप्यूटरीकृत करने के लिये "जिला सूचना प्रणाली कार्यक्रम" शुरू किया
- ❖ ई-गवर्नेस को बढ़ावा देने की दिशा में 1987 में लॉन्च NICNET (राष्ट्रीय उपग्रह-आधारित कंप्यूटर नेटवर्क) एक क्रांतिकारी कदम था।

ई-गवर्नेस के उदय के कारण

- ❖ शासन का जटिल होना
- ❖ सरकार से नागरिकों की अपेक्षाओं में वृद्धि

ई-गवर्नेस के उद्देश्य

- ❖ नागरिकों को बेहतर सेवा प्रदान करना।
- ❖ पारदर्शिता और जवाबदेहिता का पालन।
- ❖ सूचनाओं के माध्यम से लोगों को सशक्त बनाना।
- ❖ शासन दक्षता में सुधार।
- ❖ व्यापार और उद्योग के साथ इंटरफेस में सुधार।

ई-गवर्नेस की विभिन्न धारणाएँ:

प्रशासन

- ❖ राज्य को आधुनिक बनाने के लिये आईसीटी का उपयोग; प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) के लिये डेटा रिपॉजिटरी का निर्माण और रिकॉर्ड्स (भूमि, स्वास्थ्य आदि) का कंप्यूटरीकरण।

ई-सेवाएँ

- ❖ इसका उद्देश्य राज्य और नागरिकों के मध्य संबंध को मजबूत करना है।

उदाहरण के लिए

- ❖ ऑनलाइन सेवाओं का प्रावधान।
- ❖ ई-प्रशासन और ई-सेवाओं का एक साथ समायोजन करना, जिसे बड़े पैमाने पर ई-सरकार कहा जाता है।

ई-गवर्नेस


- ❖ समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये सरकार की क्षमता में सुधार हेतु सूचना एवं प्रौद्योगिकी का उपयोग करना।
- ❖ इसमें नागरिकों के लिये नीति और कार्यक्रम से संबंधित जानकारी का प्रकाशन शामिल है।
- ❖ यह ऑनलाइन सेवाओं के अतिरिक्त सरकार की योजनाओं की सफलता के लिये आईटी का उपयोग करता है और सरकार के विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है।

ई-लोकतंत्र

- ❖ राज्य के शासन में समाज के सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु आईटी का उपयोग।
- ❖ इसके अंतर्गत पारदर्शिता, जवाबदेहिता और लोगों की भागीदारी पर जोर दिया जा रहा है।
- ❖ इसमें नीतियों का ऑनलाइन खुलासा, ऑनलाइन शिकायत निवारण, ई-जनमत संग्रह आदि शामिल हैं।

ई-गवर्नेस के स्तंभ

ई-गवर्नेस के निम्नलिखित चार स्तंभ हैं-



ई-गवर्नेस के लाभ

- ❖ सरकारी सेवाओं की डिलीवरी और दक्षता में सुधार होता है
- ❖ व्यापार और उद्योग के साथ सरकार की बेहतर बातचीत
- ❖ सूचना तक पहुंच के माध्यम से नागरिक सशक्तिकरण
- ❖ अधिक कुशल सरकारी प्रबंधन
- ❖ प्रशासन में कम भ्रष्टाचार
- ❖ प्रशासन में पारदर्शिता बढ़ी
- ❖ नागरिकों और व्यवसायों को अधिक सुविधा
- ❖ लागत में कमी और राजस्व वृद्धि
- ❖ सरकार की वैधता में वृद्धि
- ❖ संगठनात्मक संरचना को समतल करता है (कम पदानुक्रमित)
- ❖ प्रशासनिक प्रक्रिया में कागजी कार्रवाई और लालफीताशाही को कम करता है जिसके परिणामस्वरूप सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच बेहतर योजना और समन्वय होता है
- ❖ सार्वजनिक प्राधिकरणों और नागरिक समाज के बीच बेहतर संबंध
- ❖ प्रशासनिक प्रक्रियाओं का पुनर्गठन

ई-गवर्नेंस में सहभागिता के प्रकार

ई-गवर्नेंस में सहभागिता के चार प्रकारों को एक आरेख के माध्यम से दर्शाया गया है-



☛ G2G (सरकार से सरकार)

- ❖ विभिन्न सरकारी संस्थाओं के बीच निर्बाध बातचीत को सक्षम बनाता है।
- ❖ इस प्रकार की बातचीत सरकार के विभिन्न विभागों और एजेंसियों के बीच या दो सरकारों जैसे संघ और राज्य सरकारों या राज्य सरकारों के बीच हो सकती है।
- ❖ प्राथमिक उद्देश्य दक्षता, प्रदर्शन और आउटपुट बढ़ाना है।

☛ G2C (सरकार से नागरिक)- सरकार और नागरिकों के बीच बातचीत।

- ❖ यह नागरिकों को सार्वजनिक सेवाओं की एक बड़ी श्रृंखला के कुशल वितरण से लाभ उठाने में सक्षम बनाता है।
- ❖ सरकारी सेवाओं की पहुंच और उपलब्धता का विस्तार होता है और सेवाओं की गुणवत्ता में भी सुधार होता है।
- ❖ प्राथमिक उद्देश्य सरकार को नागरिक-अनुकूल बनाना है।

☛ G2E (सरकार से कर्मचारी)


- ❖ इस प्रकार की बातचीत सरकार और उसके कर्मचारियों के बीच होती है।
- ❖ आईसीटी उपकरण इन इंटरैक्शन को तेज और कुशल बनाने में मदद करते हैं और इस प्रकार कर्मचारियों की संतुष्टि के स्तर को बढ़ाते हैं।

☛ G2B (सरकार से व्यवसाय)

- ❖ यह ई-गवर्नेंस टूल का उपयोग करके व्यावसायिक समुदाय को सरकार के साथ बातचीत करने में सक्षम बनाता है।
- ❖ इसका उद्देश्य लालफीताशाही में कटौती करना है जिससे समय की बचत होगी और परिचालन लागत कम होगी। इससे सरकार के साथ व्यवहार करते समय अधिक पारदर्शी कारोबारी माहौल भी तैयार होगा।
- ❖ G2B पहल लाइसेंसिंग, खरीद, परमिट और राजस्व संग्रह जैसी सेवाओं में मदद करती है।

प्रशासन में ई-गवर्नेंस की भूमिका

प्रशासन में ई-गवर्नेंस की निम्नलिखित प्रकार की भूमिकाओं को वर्गीकृत किया जा सकता है



सूचना तकनीक के प्रयोग के संबंध में

- ☛ विविध लोक कल्याणकारी नीतियों व उनके क्रियान्वयन का लाभ शीघ्रता से जनता को प्रदान करने हेतु ई-गवर्नेंस प्रशासन में सूचना तकनीक का व्यापक प्रयोग करता है। अतः यह अधिक से अधिक तकनीकी विकास पर बल देता है ताकि सुशासन की प्राप्ति संभव हो सके।

अर्थव्यवस्था के संदर्भ में

- ☛ वैश्वीकरण के संदर्भ अर्थव्यवस्था का मूल्यांकन कर आवश्यक आर्थिक नीतियों का निर्धारण व कार्यान्वयन हेतु ई-गवर्नेंस अर्थव्यवस्था में सरकारी भूमिका को प्रभावी बनाता है। इसमें जरिए ही सरकार लोक संसाधनों के प्रबंधन का स्तर सुधारकर निजी क्षेत्र की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हुई है। यह कर प्रशासन, लेखांकन पद्धति, बजट निर्माण, राजकोषीय संस्थात्मक सुधार आदि के उत्तम निष्पादन में सहायक होता है।

विकास के संदर्भ में

- ☛ ई-गवर्नेंस द्वारा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक व सांस्कृतिक आयामों पर विकास को सक्षम बनाया जाता है। वास्तव में सूचना तकनीक के विविध माध्यमों से अर्थव्यवस्था का नियंत्रण व क्रियान्वयन, प्रशासनिक क्षेत्र में भर्ती, पदोन्नति, प्रशिक्षण आदि और विविध सामाजिक व सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण व विकास संभव होता है।
- ☛ उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि ई-गवर्नेंस वस्तुतः शासन के कार्य करने की एक नवीन तकनीक है जिसका संबंध मानव-जीवन के हर पहलू से है। हालांकि, इसके कार्य का संबंध या भूमिका अर्थव्यवस्था के अधिक नजदीक है। वास्तव में 'ई-गवर्नेंस' सुशासन के मार्ग में एक प्रयास है जिस कारण इसे 'अच्छा अभिशासन' की संज्ञा भी दी जाती है।

ई-गवर्नेस की उपयोगिता

- ☞ सूचना प्रौद्योगिकी किन्हीं आधारभूत सुविधाओं का विकल्प नहीं बन सकती, लेकिन विकास प्रक्रिया को तेज करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है-
- ❖ सूचनाओं को इलेक्ट्रॉनिक विधि से उपलब्ध कराए जाने के कारण बिचौलियों का महत्व कम। किसानों को एक ही स्थान पर देश भर की मंडियों के भावों की जानकारी प्राप्त करना सरल, जिससे वे अपनी फसलों का सही वह पर्याप्त मूल्य प्राप्त कर सकेंगे।
- ❖ ग्रामीण विकास कार्यक्रमों और योजनाओं के माध्यम से चलाई जाने वाली लोक-कल्याणकारी योजनाओं के विषय में जानकारी प्राप्त होना सरल और इनमें होने वाले भ्रष्टाचार, घोटालों, आदि को उजागर करना संभव।
- ❖ सभी प्रकार के आंकड़े आसानी व शीघ्रता से प्राप्त करना संभव।
- ❖ सभी दस्तावेजों का रख रखाव बेहतर तरीकों से संभव।
- ❖ दूरदराज के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले छात्रों द्वारा
- ❖ विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन करना संभव। साथ ही परीक्षा देने और परिणाम प्राप्त करना भी संभव।
- ❖ वैश्वीकरण के संदर्भ में अर्थव्यवस्था का मूल्यांकन कर आवश्यक आर्थिक नीतियों का निर्धारण व क्रियान्वयन में सरकार की भूमिका को प्रभावी बनाता है।

ई-गवर्नेस की समस्या

ई-गवर्नेस के सामने प्रमुख समस्याएं इस प्रकार हैं जैसे-

- ❖ अधिकारी वर्ग एवं कार्मिक तंत्र में जवाबदेही की कमी।
- ❖ ग्रामीण विकास के आधारभूत स्तर पर प्रशिक्षित, कार्यकुशल, ईमानदार एवं दक्ष कार्मिक तंत्र का अभाव।
- ❖ ग्रामीण जनता में जन-जागरूकता का अभाव।
- ❖ ग्रामीण क्षेत्रों में कंप्यूटर, इंटरनेट आदि की उपलब्धता की समस्या।
- ❖ तकनीक को समझने और उपयोग करने हेतु विशेष भाषा एवं ज्ञान की आवश्यकता का होना।

ई-गवर्नेस को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदम

भारत में ई-गवर्नेस को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदम इस प्रकार हैं:

- ❖ सूचना प्रौद्योगिकी और सॉफ्टवेयर विकास पर एक राष्ट्रीय कार्य बल की स्थापना 1998 में की गई थी।
- ❖ 1999 में केंद्र में सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय बनाया गया।
- ❖ सभी केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों में कार्यान्वयन के लिए ई-गवर्नेस के लिए 12 सूत्री एजेंडा सूचीबद्ध किया गया था।

- ❖ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (2000) अधिनियमित किया गया। इस अधिनियम में 2008 में संशोधन किया गया था।
- ❖ भारत में आईटी को बढ़ावा देने के लिए एक सामान्य कार्य योजना पर पहुंचने के लिए राज्यों के आईटी मंत्रियों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन वर्ष 2000 में आयोजित किया गया था।
- ❖ सरकार ने एनआईएसजी (नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्मार्ट गवर्नमेंट) की स्थापना की।
- ❖ राज्य सरकारों ने ई-सेवा (आंध्र प्रदेश), भूमि (कर्नाटक) आदि जैसी ई-गवर्नेस परियोजनाएं शुरू कीं।
- ❖ राष्ट्रीय ई-गवर्नेस योजना (NeGP) लॉन्च की गई। इसमें 31 मिशन मोड प्रोजेक्ट (एमएमपी) और 8 सहायक घटक शामिल हैं।
- ❖ सूचना प्रौद्योगिकी पर राष्ट्रीय नीति (एनपीआईटी) 2012 में अपनाई गई थी।

राष्ट्रीय ई-गवर्नेस योजना (एनईजीपी)

- ❖ राष्ट्रीय ई-गवर्नेस योजना (एनईजीपी), पूरे देश में ई-गवर्नेस पहल का समग्र दृष्टिकोण प्रदान करती है।
- ❖ इस विचार के इर्द-गिर्द, दूर-दराज के गांवों तक पहुंचने वाला एक विशाल देशव्यापी बुनियादी ढांचा विकसित हो रहा है, और इंटरनेट तक आसान, विश्वसनीय पहुंच को सक्षम करने के लिए रिकॉर्ड का बड़े पैमाने पर डिजिटलीकरण हो रहा है।
- ❖ सरकार ने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत "ई-क्रांति: राष्ट्रीय ई-गवर्नेस योजना (एनईजीपी) 2.0" लागू करने का प्रस्ताव दिया है।

ई-क्रांति - सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी

- ❖ ई-क्रांति डिजिटल इंडिया पहल का एक अनिवार्य स्तंभ है।
- ❖ देश में ई-गवर्नेस, मोबाइल गवर्नेस और सुशासन की महत्वपूर्ण आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, ई-क्रांति के दृष्टिकोण और प्रमुख घटकों को सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है।
- ❖ ई-क्रांति ढांचा कई सरकारी विभागों में मिशन मोड परियोजनाओं के पोर्टफोलियो के माध्यम से सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी को संबोधित करता है।

ई-गवर्नेस और बिहार

- ☞ ई-गवर्नेस, या इलेक्ट्रॉनिक शासन, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का उपयोग करके सरकार की प्रक्रियाओं को सरल, अधिक कुशल और पारदर्शी बनाना है। ई-गवर्नेस का उपयोग नागरिकों को सरकारी सेवाओं तक अधिक आसानी से और कुशलता से पहुंचने में मदद कर सकता है, सरकारी प्रक्रियाओं को अधिक कुशल बना सकता है, और सरकार की जवाबदेही बढ़ा सकता है।

- ❖ बिहार सरकार ने ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की हैं। इनमें से कुछ प्रमुख पहलों में शामिल हैं:
- ❖ **बिहार ई-गवर्नेंस पोर्टल:** यह पोर्टल बिहार सरकार की सभी वेबसाइटों और सेवाओं को एक ही स्थान पर लाता है। यह नागरिकों को आसानी से और कुशलता से सरकारी सेवाओं तक पहुंचने में मदद करता है।
- ❖ **बिहार मोबाइल शासन:** यह मोबाइल एप्लिकेशन नागरिकों को अपने मोबाइल फोन से सरकारी सेवाओं तक पहुंचने की अनुमति देता है। यह विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए उपयोगी है।
- ❖ **बिहार ई-फाइलिंग:** यह प्रणाली नागरिकों को ऑनलाइन आवेदन और दस्तावेज जमा करने की अनुमति देती है। यह सरकारी प्रक्रियाओं को अधिक कुशल और कम समय लेने वाला बनाता है।
- ❖ **बिहार ई-सेवा पोर्टल:** यह पोर्टल राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न ऑनलाइन सेवाओं को प्रदान करता है। इसमें जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड, आदि जैसी सेवाएं शामिल हैं।
- ❖ **बिहार ई-न्याय पोर्टल:** यह पोर्टल राज्य में न्यायिक प्रणाली को डिजिटल करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह नागरिकों को ऑनलाइन अदालत की कार्यवाही का पता लगाने और दस्तावेज जमा करने में मदद करता है।
- ❖ **बिहार ई-शासन प्रौद्योगिकी विकास योजना:** यह योजना राज्य में ई-गवर्नेंस प्रौद्योगिकी के विकास को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन की गई है। इस योजना के तहत, राज्य सरकार विभिन्न आईसीटी आधारित उत्पादों और सेवाओं को विकसित करने के लिए निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी कर रही है।
- ❖ **बिहार ई-शासन प्रशिक्षण योजना:** यह योजना राज्य के सरकारी कर्मचारियों को ई-गवर्नेंस के बारे में प्रशिक्षित करने के लिए डिजाइन की गई है। इस योजना के तहत, राज्य सरकार विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है।
- ❖ **बिहार ई-मित्र योजना:** यह योजना राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में नागरिकों को सरकारी सेवाओं तक पहुंच प्रदान करने के लिए एक पहल है। इस योजना के तहत, राज्य सरकार ने पूरे राज्य में ई-मित्र केंद्र स्थापित किए हैं। इन केंद्रों पर नागरिक विभिन्न सरकारी सेवाओं, जैसे कि राशन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, आदि के लिए आवेदन कर सकते हैं।

- ❖ **बिहार ई-शिक्षा योजना:** यह योजना राज्य के छात्रों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने के लिए एक पहल है। इस योजना के तहत, राज्य सरकार ने विभिन्न ऑनलाइन शिक्षा पोर्टल और प्लेटफॉर्म विकसित किए हैं। इन पोर्टलों और प्लेटफॉर्म पर छात्र विभिन्न विषयों की शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं।
- ❖ **बिहार ई-हेल्थ योजना:** यह योजना राज्य के नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए एक पहल है। इस योजना के तहत, राज्य सरकार ने एक ऑनलाइन स्वास्थ्य पोर्टल विकसित किया है। इस पोर्टल पर नागरिक विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं, जैसे कि ऑनलाइन परामर्श, ऑनलाइन दवाओं का प्रावधान, आदि का लाभ उठा सकते हैं।
- ❖ **ई-डिस्ट्रिक्ट योजना:** यह योजना बिहार के सभी जिलों में ई-शासन को लागू करने के लिए एक मिशन मोड परियोजना है। इस योजना के तहत, प्रत्येक जिले में एक ई-डिस्ट्रिक्ट केंद्र बनाया जाएगा जो नागरिकों को विभिन्न सरकारी सेवाएं ऑनलाइन प्रदान करेगा।
- ❖ **ई-सुविधा योजना:** यह योजना नागरिकों को विभिन्न सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन आवेदन करने और प्राप्त करने में सहायता करने के लिए एक पोर्टल है। इस पोर्टल पर विभिन्न सरकारी योजनाओं, सेवाओं और आवेदन प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी उपलब्ध है।
- ❖ **पोर्टल योजना:** यह योजना बिहार सरकार के विभिन्न विभागों और मंत्रालयों के लिए एक एकीकृत पोर्टल है। इस पोर्टल के माध्यम से, नागरिक विभिन्न सरकारी सेवाओं और योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और आवेदन कर सकते हैं।
- ❖ **मोबाइल एप्लिकेशन योजना:** बिहार सरकार ने विभिन्न सरकारी सेवाओं को मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से प्रदान करने के लिए कई मोबाइल एप्लिकेशन विकसित किए हैं। इनमें से कुछ प्रमुख मोबाइल एप्लिकेशन हैं:
 - **ई-श्रमिक:** यह एप्लिकेशन बिहार के श्रमिकों को उनके अधिकारों और लाभों के बारे में जानकारी प्रदान करता है।
 - **ई-भूमि:** यह एप्लिकेशन बिहार के भूमि रिकॉर्डों की जानकारी प्रदान करता है।
 - **ई-शिक्षा:** यह एप्लिकेशन बिहार के स्कूलों और कॉलेजों के बारे में जानकारी प्रदान करता है।

अलग-अलग क्षेत्रों में ई-गवर्नेंस

बिहार सरकार अलग-अलग क्षेत्रों में ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चला रही है। इन योजनाओं का उद्देश्य नागरिकों को सरकारी सेवाओं को आसानी से और पारदर्शी तरीके से प्राप्त करने में मदद करना है।

शिक्षा क्षेत्र

- ❖ **ई-शिक्षा पोर्टल**- इस पोर्टल के माध्यम से, छात्र और शिक्षक विभिन्न पाठ्यक्रमों और सामग्री तक पहुंच सकते हैं।
- ❖ **ई-पाठ्यक्रम**- इस योजना के तहत, छात्रों को डिजिटल माध्यम से पाठ्यक्रम प्रदान किए जाते हैं।
- ❖ **ई-परीक्षा**- इस योजना के तहत, छात्रों की परीक्षाएं ऑनलाइन आयोजित की जाती हैं।
- ❖ **ई-विद्या**- यह एक ऑनलाइन पोर्टल है जो छात्रों को पाठ्यक्रम सामग्री, परीक्षा परिणाम और अन्य जानकारी तक पहुंच प्रदान करता है।
- ❖ **ई-स्कूल**: यह एक मोबाइल एप्लिकेशन है जो छात्रों को स्कूल के काम को पूरा करने में मदद करता है।

स्वास्थ्य क्षेत्र

- ❖ **ई-स्वास्थ्य पोर्टल**- इस पोर्टल के माध्यम से, नागरिक स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकते हैं।
- ❖ **ई-मेडिकल रिकॉर्ड**- इस योजना के तहत, नागरिकों के मेडिकल रिकॉर्ड डिजिटल रूप में संग्रहीत किए जाते हैं।
- ❖ **ई-दवा**- इस योजना के तहत, नागरिक डिजिटल माध्यम से दवाएं खरीद सकते हैं।
- ❖ **ई-मेडिसिन**: यह एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो मरीजों को डॉक्टरों से परामर्श करने और दवाएं खरीदने की अनुमति देता है।
- ❖ **ई-एम्बुलेंस**: यह एक मोबाइल एप्लिकेशन है जो आपातकालीन स्थिति में एम्बुलेंस बुलाने में मदद करता है।

कृषि क्षेत्र

- ❖ **ई-कृषि पोर्टल**- इस पोर्टल के माध्यम से, किसान कृषि संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और कृषि उत्पादों को ऑनलाइन बेच सकते हैं।
- ❖ **ई-किसान बीमा**- इस योजना के तहत, किसानों को कृषि बीमा ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाता है।
- ❖ **ई-कृषि उपकरण**- इस योजना के तहत, किसानों को कृषि उपकरण ऑनलाइन खरीदने में मदद की जाती है।
- ❖ **ई-किसान**: यह एक ऑनलाइन पोर्टल है जो किसानों को कृषि-संबंधी जानकारी और सेवाएं प्रदान करता है।

- ❖ **ई-बाजार**: यह एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो किसानों को अपनी उपज बेचने में मदद करता है।
- ❖ **ई-प्रशिक्षण**: यह एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो किसानों को कृषि तकनीकों में प्रशिक्षण प्रदान करता है।

उद्योग क्षेत्र

- ❖ **ई-उद्योग पोर्टल**- इस पोर्टल के माध्यम से, उद्योगपतियों को सरकारी योजनाओं और नीतियों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है।
- ❖ **ई-बिजनेस लाइसेंस** - इस योजना के तहत, उद्योगपतियों को ऑनलाइन बिजनेस लाइसेंस प्राप्त होता है।
- ❖ **ई-निर्यात**- इस योजना के तहत, उद्योगपतियों को ऑनलाइन निर्यात में मदद की जाती है।
- ❖ **ई-निवेश**: यह एक ऑनलाइन पोर्टल है जो निवेशकों को बिहार में निवेश करने के अवसरों की जानकारी प्रदान करता है।
- ❖ **ई-परमिट**: यह एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो व्यवसायों को लाइसेंस और परमिट प्राप्त करने की अनुमति देता है।
- ❖ **ई-कस्टम्स**: यह एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो व्यवसायों को सीमा शुल्क प्रक्रियाओं को पूरा करने में मदद करता है।

सामाजिक सुरक्षा क्षेत्र

- ❖ **ई-सामाजिक सुरक्षा पोर्टल**- इस पोर्टल के माध्यम से, लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ प्राप्त होता है।
- ❖ **ई-आवास योजना**- इस योजना के तहत, लाभार्थियों को ऑनलाइन आवास का आवंटन किया जाता है।
- ❖ **ई-रोजगार**- इस योजना के तहत, लाभार्थियों को ऑनलाइन रोजगार के अवसर प्रदान किए जाते हैं।

बिहार सरकार इन योजनाओं को लागू करने के लिए प्रयासरत है। इन योजनाओं से राज्य में ई-गवर्नेंस को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

कुछ अन्य योजनाएं

- ❖ **ई-गवर्नेंस लैब** - इस लैब के माध्यम से, ई-गवर्नेंस से संबंधित नवाचारों का विकास किया जाता है।
 - ❖ **ई-गवर्नेंस नीति** - इस नीति के माध्यम से, ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार की नीतियों और दिशानिर्देशों को निर्धारित किया जाता है।
 - ❖ **ई-गवर्नेंस प्रशिक्षण**- इस योजना के माध्यम से, सरकारी कर्मियों को ई-गवर्नेंस संबंधित प्रशिक्षण दिया जाता है।
- इन योजनाओं के माध्यम से, बिहार सरकार ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देने और राज्य में पारदर्शिता, जवाबदेही और दक्षता को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।

वर्तमान पहलू

- ☞ बिहार सरकार ने 2023-2024 के लिए ई-गवर्नेंस के लिए एक नई योजना भी शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य बिहार सरकार की ई-गवर्नेंस पहलों को मजबूत करना और ई-गवर्नेंस के माध्यम से राज्य में सुशासन को बढ़ावा देना है।
- ☞ इस योजना के तहत, बिहार सरकार निम्नलिखित पहलों को लागू करेगी:
 - ❖ सभी सरकारी विभागों और संस्थानों में आईसीटी का उपयोग बढ़ाना
 - ❖ ई-गवर्नेंस सेवाओं का विस्तार करना
 - ❖ ई-गवर्नेंस सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करना
 - ❖ ई-गवर्नेंस के लिए क्षमता निर्माण करना
- ☞ बिहार सरकार की उम्मीद है कि यह योजना बिहार में ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देगी और राज्य में सुशासन को बढ़ावा देगी।
- ☞ इस योजना के कुछ विशिष्ट लक्ष्यों में शामिल हैं:
 - ❖ 2024 तक सभी सरकारी विभागों और संस्थानों में आईसीटी का उपयोग 100% करना
 - ❖ 2024 तक 500 से अधिक नई ई-गवर्नेंस सेवाएं शुरू करना
 - ❖ 2024 तक ई-गवर्नेंस सेवाओं की गुणवत्ता में 50% सुधार करना
 - ❖ 2024 तक 100,000 लोगों को ई-गवर्नेंस क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के तहत प्रशिक्षित करना
- ☞ बिहार सरकार की ई-गवर्नेंस योजना बिहार में सुशासन को बढ़ावा देने और राज्य के नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है

बिहार ई-गवर्नेंस चुनौतियाँ और समाधान

- ☞ बिहार भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य है, जिसकी जनसंख्या लगभग 12 करोड़ है। राज्य सरकार ने ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की हैं, लेकिन अभी भी कई चुनौतियाँ हैं जिनका सामना करना पड़ रहा है।
- ☞ बिहार सरकार की ई-गवर्नेंस पहलों से राज्य में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। राज्य सरकार ने नागरिकों को सरकारी सेवाओं तक आसानी से पहुंच प्रदान करने के लिए कई आईसीटी आधारित पहलों को लागू किया है। हालांकि, अभी भी कुछ चुनौतियाँ हैं जिनका सामना करना पड़ रहा है।

इनमें से कुछ चुनौतियाँ हैं:

- **आईसीटी बुनियादी ढांचे की कमी:** बिहार में अभी भी आईसीटी बुनियादी ढांचे की कमी है। इससे ई-गवर्नेंस सेवाओं तक पहुंचने में नागरिकों के लिए कठिनाई हो सकती है।
- **सरकारी कर्मचारियों का प्रशिक्षण:** बिहार सरकार के कर्मचारियों को अभी भी ई-गवर्नेंस के बारे में पर्याप्त

प्रशिक्षण नहीं मिला है। इससे ई-गवर्नेंस सेवाओं को लागू करने और प्रबंधित करने में कठिनाई हो सकती है।

- **प्रौद्योगिकी का विस्तार:** बिहार एक विशाल राज्य है, जिसमें ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्र शामिल हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी का प्रसार अभी भी बहुत कम है। इस कारण, ई-गवर्नेंस सेवाओं तक पहुंचने में ग्रामीण लोगों को कठिनाई होती है।
- **तकनीकी कौशल का अभाव:** बिहार में कई लोगों को कंप्यूटर और इंटरनेट का उपयोग करने में कौशल की कमी है। इस कारण, वे ई-गवर्नेंस सेवाओं का लाभ उठाने में सक्षम नहीं हैं।
- **कार्यप्रणाली में बदलाव:** ई-गवर्नेंस को सफल बनाने के लिए, सरकार को कार्यप्रणाली में बदलाव करने की आवश्यकता है। वर्तमान में, सरकार की कार्यप्रणाली अभी भी पारंपरिक है। इस कारण, ई-गवर्नेंस सेवाओं का प्रभावी ढंग से कार्यान्वयन करना मुश्किल हो रहा है।
- **सुरक्षा और गोपनीयता:** ई-गवर्नेंस सेवाओं में व्यक्तिगत जानकारी शामिल होती है। इस कारण, इन सेवाओं की सुरक्षा और गोपनीयता सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। बिहार में अभी भी इस संबंध में पर्याप्त प्रावधान नहीं हैं।

समाधान

- **प्रौद्योगिकी का विस्तार:** सरकार को ग्रामीण क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी का प्रसार करने के लिए कदम उठाने चाहिए। इसके लिए, सरकार को ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट और मोबाइल सेवाओं को बढ़ावा देना चाहिए। इसके अलावा, सरकार को ग्रामीण लोगों को कंप्यूटर और इंटरनेट का उपयोग करने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना चाहिए।
- **तकनीकी कौशल का विकास:** सरकार को तकनीकी कौशल विकास कार्यक्रमों को शुरू करना चाहिए। इन कार्यक्रमों के तहत, लोगों को कंप्यूटर और इंटरनेट का उपयोग करने के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।
- **कार्यप्रणाली में बदलाव:** सरकार को कार्यप्रणाली में बदलाव करने के लिए एक योजना तैयार करनी चाहिए। इस योजना में, ई-गवर्नेंस सेवाओं के लिए एक स्पष्ट नीति और दिशानिर्देश शामिल होने चाहिए। इसके अलावा, सरकार को ई-गवर्नेंस सेवाओं के लिए एक तंत्र विकसित करना चाहिए।
- **सुरक्षा और गोपनीयता:** सरकार को ई-गवर्नेंस सेवाओं की सुरक्षा और गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने चाहिए। इसके लिए, सरकार को एक मजबूत सुरक्षा नीति और प्रावधानों को लागू करना चाहिए।
- ☞ सरकार को इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए कदम उठाने चाहिए ताकि ई-गवर्नेंस को राज्य में सफल बनाया जा सके।

विशेष समाधान

- ☞ बिहार में ई-गवर्नेंस को सफल बनाने के लिए निम्नलिखित विशेष समाधान भी लागू किए जा सकते हैं:
- **एकल पोर्टल:** सरकार को एक एकल पोर्टल विकसित करना चाहिए, जो सभी ई-गवर्नेंस सेवाओं को एक स्थान पर उपलब्ध कराए। इससे लोगों को इन सेवाओं तक पहुंचने में आसानी होगी।
 - **मोबाइल एप्लिकेशन:** सरकार को ई-गवर्नेंस सेवाओं के लिए मोबाइल एप्लिकेशन विकसित करना चाहिए। इससे लोगों को इन सेवाओं तक पहुंचने में और भी आसानी होगी।
 - **ग्रामीण ई-केंद्र:** सरकार को ग्रामीण क्षेत्रों में ई-केंद्र स्थापित करना चाहिए। इन केंद्रों पर लोगों को ई-गवर्नेंस सेवाओं का उपयोग करने में सहायता प्रदान की जाएगी।
 - **नागरिक भागीदारी:** सरकार को नागरिक भागीदारी को बढ़ावा देना चाहिए। इससे ई-गवर्नेंस सेवाओं के विकास और कार्यान्वयन में नागरिकों का योगदान सुनिश्चित किया जा सकेगा।
- ☞ इन समाधानों को लागू करने से बिहार में ई-गवर्नेंस को और अधिक सफल बनाया जा सकेगा। बिहार सरकार इन चुनौतियों को दूर करने के लिए काम कर रही है। राज्य सरकार आईसीटी बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और सरकारी कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिए कई कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है।

□□□